(6)

परिवहन आयुक्त, हरियाणा, 732
चण्डीगढ़ ।

सेवा में

सभी महाप्रबन्धक,
हरियाणा राज्य परिवहन ।

क्रमांक 1715-36 /सी०एस०
दिनांक 26-4-93

विषय:- दूसरे राज्यों के प्रैस रिपोर्टरों द्वारा हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में मुफ्त यात्रा करने बारे ।

....

जैसे कि पहले सूचित किया जा चुका है कि हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में केवल वही संवाददाता मुफ्त यात्रा करने के पात्र हैं जो हरियाणा सरकार से प्रैस मान्यता प्राप्त हैं और जिनके पास महाप्रबन्धक हरियाणा राज्य परिवहन की ओर से हाथ बस यात्रा पास हो । कोई भी पत्र कार हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में मुफ्त यात्रा नहीं कर सकता जिस के पास हरियाणा राज्य परिवहन चण्डीगढ़ की ओर से जारी बस यात्रा पास न हो ।

यह बात नोटिस में आई है कि कई परिचालक निशुल्क बस यात्रा पास बुक में संवाददाता द्वारा की गई यात्रा का उल्लेख नहीं करते जिसके कारण वे एक वर्ष में 2500 किलोमीटर से अधिक यात्रा कर सकते हैं इसलिए आप सभी परिचालकों को निर्देश दें कि वे निशुल्क बस यात्रा पास बुक में आवश्यक इन्द्राज जरूर करें ।

कृते: परिवहन आयुक्त, हरियाणा,
चण्डीगढ़ ।

पृ० क्र० 1427 /सी०एस० दिनांक 26-4-93

एक प्रति निदेशक, लोक सम्पर्क विभाग, कार्यालय को उनके पत्र क्र०: लो०स०वि०ह०।पी०एस०ए।[illegible]193 दि० 24-12-92 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है ।

कृते: परिवहन आयुक्त, हरियाणा ।

K. P. [illegible] 6.2.02
for Transport Commissioner.
Haryana, Chandigarh.